

कार्यालय आदेश

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् बैच-2021, 2022 एवं 2023 के जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 3792/जी0एम0सी0/आर-2/2022/शुल्क दिनांक 30.10.2024 के क्रम में अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2024 तक वार्षिक शुल्क जमा नहीं किया गया है, को सूचित किया जाता है कि वार्षिक शुल्क जमा करने की अवधि दिनांक 15.12.2024 तक विस्तारित की जाती है। विस्तारित तिथि के पश्चात् विलम्ब शुल्क रू0 1000/- के साथ वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। दिनांक 15.12.2024 के पश्चात् वार्षिक शुल्क जमा न करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नोट: शुल्क के भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (Principal, Government Medical College, Haldwani) के नाम से बनाया जायेगा।

(डॉ० अरुण जोशी)

प्राचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
हल्द्वानी।

पत्रांक: 4603 (1)/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।
2. लेखा अनुभाग, डॉ० सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय, हल्द्वानी।
3. पैरामेडिकल अनुभाग, रा०मे०का०, हल्द्वानी।
4. प्रमारी-एच०आई०एस० को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना वेबसाईट में अपलोड करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थियों का वार्षिक शुल्क जमा करने की जानकारी उपलब्ध हो सके।
5. समस्त विभागीय नोटिस बोर्ड, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।

(डॉ० अरुण जोशी)

प्राचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
हल्द्वानी।